प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.08.2024

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्वाट टीम ट्रान्स हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय चादर गैंग (घोडासहन) के 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार जिनके कब्जे से चोरी की इण्टरनेशनल ब्राण्डेड घडियाँ (कीमत करीब 46 लाख 36 हजार रूपये) बरामद

दिनाँक-29/08/24 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्वाट टीम ट्रॅान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में चादर गैंग के 02 शातिर अभियुक्त संतोष कुमार जायसवाल व रोहित कुमार पासवान को छिजारसी कट के सामने कनावनी पुस्ता रोड पर थाना क्षेत्र इन्दिरापुरम से गिरफ्तार करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र के साँई क्रिएशन शोरूम का शटर उखाडकर विभिन्न ब्राण्ड की घडियों की चोरी की घटना से सम्बन्धित चोरी की गयी इण्टरनेशनल ब्राण्ड की 125 घडियाँ बरामद हुई है।

अवगत कराना है कि दिनांकः 10/11-08-2024 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में साँई क्रिएशन शोरूम के आगे अज्ञात चोरो के गिरोह द्वारा चादर लगाकर उसके पीछे शोरूम का शटर उखाडकर इण्टरनेशनल ब्राण्ड की विभिन्न घडियों की चोरी की समसनीखेज घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च गाजियाबाद, स्वाट टीम ट्रॅान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम को लगाया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त संतोष कुमार जायसवाल ने बताया कि वह मूल रूप से घोडासहन बिहार का रहने वाला है तथा घोडासहन में ठेले पर मुर्गा मछली फ्राई कर बेचने का काम करता है जो उसका पैतृक काम है परन्तु इसमें ज्यादा फायदा नही होने के कारण वह अपराध मे लिप्त हो गया। घोडासहन में चोरो के कई गिरोह चलते है जो देश के विभिन्न राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है इन्ही गिरोहो में से सचिन व सिराज के गिरोह से सम्पर्क होने पर संतोष उनके साथ काम करने लगा। पूर्व में सिराज के गैंग के साथ उत्तराखण्ड राज्य में ज्वालापुर हरिद्वार में मोबाइल के शोरूम में चादर लगाकर शटर उखाडकर मोबाइलों की चोरी की थी जिसमें इनके गिरोह के 09 सदस्य गिरफ्तार हुए थे जिसमें संतोष उपरोक्त फरार था तथा उसकी गिरफ्तारी पर रू0 1,00,000/- का नगद पुरस्कार भी घेषित हुआ था। जेल से छूटने के बाद इन लोगो ने पुनः गैग बनाया जिसमें घोडासहन के संतोष, रोहित पासवान, सिराज, जितेन्द्र उर्फ जीतन साहनी, रोशन, राहुल पासवान व सीतामढी का जीतन पासवान तथा नेपाल के सचिन, प्रमोद व आसामी उर्फ संतोष शामिल हैं के साथ मिलकर देश के विभिन्न राज्यों में चादर लगाकर चोरी की वारदात करने लगे। अभियुक्त रोहित पासवान ने बताया कि वह भी मूल रूप से घोडासहन का रहने वाला है तथा ठेले पर मुर्गा मछली बेचने का काम करता था। रोहित व उसका भाई राहुल पासवान पहले नईम उस्ताद व विजय जो घोडासहन बिहार के थे के गैंग में चोरी का काम करते थे इनके द्वारा थाना नालासुपारा जिला थाणे महाराष्ट्र में चादर लगाकर मोबाइल के शोरूम का शटर उखाडकर चोरी की थी जिसमें इनके गैंग के 09 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। जेल से छूटने के बाद दोनो भाईयों ने सचिन व सिराज के गैंग मे शामिल होकर चोरी की वारदात करना शुरू कर दिया।

दोनो अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो का शोरूम के बाहर चादर लगाकर शटर उखाडकर चोरी करने का गिरोह है जो पूरे देश में घूम-घूम कर अलग-अलग राज्यों में चोरी की वारदात करते है। इनके गैंग में

सचिन, प्रमोद व आसामी उर्फ संतोष नेपाल के रहने वाले है जो चोरी के बाद ज्यादातर चोरी का माल लेकर नेपाल चले जाते है। घोडासहन भी नेपाल बॉर्डर पर स्थित है चोरी के बाद सभी लोग ज्यादातर अपना घर छोडकर नेपाल मे रहते है और वही पर सारा माल बेचकर आपस में पैसे बाँट लेते है। जो सदस्य रैकी करता है और सबको लाकर चोरी होने तक उनका खर्चा उठाता है उसको ज्यादा हिस्सा मिलता है। घटना करने से पहले जिस शहर में घटना करनी होती है उसके आस-पास कमरा किराये पर लेते है और मजदूरी या पुताई आदि का काम करने लगते है। धीरे-धीरे रैकी करके जब दुकान चिन्हित कर लेते हैं फिर अपने बाकी सदस्यों को बुला लेते है। घटना करने से पहले अपने मोबाइल कमरे पर ही रखकर जाते है । घटना स्थल से कुछ पहले ही सवारी छोड देते है और पैदल जाते है घटना स्थल पर पहुँचकर गैंग के कुछ सदस्य रास्ते पर आगे पीछे लग जाते है तथा कुछ सदस्य शटर के आगे चादर तान कर खडे हो जाते है और बाकी सदस्य अपने साथ लाये आला नकब से शटर उखाड देते है 2-3 लोग अन्दर घुसकर सारा सामान बैग मे डाल लेते है और फिर चोरी करके अलग-अलग होकर थोडी थोडी दूरी बनाकर काफी दूर तक पैदल जाते है फिर विपरीत दिशा की सवारी लेते है फिर आगे उतरकर पुनः सवारी बदलकर अपने किराये के कमरे पर जाकर माल का बटवारा करते है फिर अलग-अलग होकर घोडासहन व नेपाल चले जाते है । चोरी के दौरान कोड वर्ड मे बात करते है जो लोग दुकान का शटर तोडकर अन्दर जाते है उनको प्लेयर कहते है , दुकान के शटर के बाहर चादर लगाने को छप्पर लगाना कहते है तथा जो लोग बाहर सडक पर निगरानी करते है उनको फील्डर कहते है ।

अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के आदतन अपराधी हैं जो पूरे देश में घूम-घूम कर चोरी की वारदात करते है और घटना को अंजाम देने के बाद पकडे ना जाये नेपाल भाग जाते है । अभियुक्तगणों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.संतोष कुमार जायसवाल पुत्र गौरी प्रसाद निवासी वार्ड न0-01 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार हाल पता किराये का मकान ग्राम छिजारसी सैक्टर 63 नोएडा

2.रोहित कुमार पासवान पुत्र रामेश्वर पासवान निवासी वार्ड न0-01 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार हाल पता किराये का मकान कापसहेडा बॉर्डर दिल्ली

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1.TISSOT कम्पनी की 34 घडियाँ कीमत करीब 16,17,500 रू0 है।
2.CITIZEN ब्राण्ड की 10 गडियाँ कीमत करीब 1,67,557 रू0 है।
3.GUESS ब्राण्ड की 42 गडियाँ कीमत करीब 5, 94,307 रू0 है।
4.BALMAIN ब्राण्ड की 04 गडियाँ कीमत करीब 1, 61, 884 रू0 है।
5.GC ब्राण्ड की 03 गडियाँ कीमत करीब 1,49,985 रू0 है।
6.SEIKO ब्राण्ड की 09 गडियाँ कीमत करीब 3,46,200 रू0 है।
7.VERSACE ब्राण्ड की 03 गडियाँ कीमत करीब 2, 62, 300 रू0 है।
8.TITAN ब्राण्ड की 05 गडियाँ कीमत करीब 1,26,085 रू0 है।
9.VICTORIONEX ब्राण्ड की 06 गडियाँ कीमत करीब 2,39, 100रू0 है।
10.BOLD ब्राण्ड की 02 गडियाँ कीमत करीब 87,625 रू0 है।
11.TIMEX ब्राण्ड की 01 गडियाँ कीमत करीब 34,000 रू0 है।
12.LONGINES ब्राण्ड की 03 गडियाँ कीमत करीब 6,59,000 रू0 है।
13.MOVADO ब्राण्ड की 03 गडियाँ कीमत करीब 1,90, 505 रू0 है।
विभिन्न ब्राण्ड की घडियाँ- 125 (चोरी की) जिनकी कुल कीमत लगभग 46,36,048 रू है।

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त संतोष कुमार जायसवाल के विरूद्ध उत्तराखण्ड मे 02, राजस्थान में 01 व गाजियाबाद मे 01 कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त रोहित कुमार पासवान के विरूद्ध महाराष्ट्र में 01 व गाजियाबाद मे 01 कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.स्वाट टीम, ट्रान्स हिण्डन जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

3.थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.08.2024 को थाना लोनी पर मौहल्ला कंचन पार्क थाना लोनी गाजियाबाद में झगडे की सूचना प्राप्त हुई जिसमें वादी श्री सरफराज पुत्र महराज निवासी कंचन पार्क चार खम्बा वाली गली लोनी थाना गाजियाबाद की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.08.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लाठी डन्डो व चाकू से मारपीट कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों 1. साजिद मलिक पुत्र सलीम मलिक निवासी कंचना पार्क लोनी गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष 2. सलमान मलिक पुत्र सलीम मलिक निवासी कंचन पार्क लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगी हुई हैं।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त साजिद मलिक पुत्र सलीम मलिक व सलमान मलिक पुत्र सलीम मलिक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 28.08.2024 को विपक्षी (मुकदमा वादी) सरफराज उपरोक्त के परिजन पिता महराज, भाई सोहेब, चाचा सिराज व रियाज से उधार के पैसे मांगने को लेकर हमारी गाली-गलौच व विवाद हो गया था जिसमें हमने अपने अन्य दो भाईयों अरशद व फरजन के साथ मिलकर महराज, सोहेब, सिराज व रियाज उपरोक्त पर आवेश में आकर लाठी डन्डो, लोहे की रोड, चाकू आदि से जान से मारने की नियत से हमला कर घायल कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. साजिद पुत्र सलीम मलिक निवासी कंचना पार्क लोनी गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष
2. सलमान पुत्र सलीम मलिक निवासी कंचन पार्क लोनी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 29.08.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी उदित त्यागी उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र सचिन त्यागी निवासी मौ0 महाजनान थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता ग्राम असालतनगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद को ग्राम असालतनगर से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 25.06.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

उदित त्यागी उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र सचिन त्यागी नि0 मौ0 महाजनान थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता हनुमान मंदिर के पीछे ग्राम असालत नगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना नंदग्राम पर 307 भादवि/आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, थाना मुरादनगर पर हत्या का 01 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, धारा 506 भादवि का 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना मुरादनगर पर धारा-3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया। कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या- 05, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में हिस्ट्रीशीट संख्या 288ए पर खोली जा चुकी है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना मुरादनगर पुलिस टीम